EDA

CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY
(Deptt. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)
D-2,3, Shriram Nagar Near Railway Crossing, RAIPUR-492 007 (C.G.)
Phone 0771 - 2284639, 2284732, 2284535 Fax 0771 4268389
E-mail credacg@rediffmail.com credacg@yahoomail.com
Website www.credacg.com

क्रमांक - 6162 /क्रेडा/एसएमडी/एसएचपी/07-08 रायपुर,दिनांक :29/03 /2008

प्रति,

मेसर्स जी एस एनर्जीस प्रा.लि.,
502, अपूरूपा इलेगेन्स,
धरम करम रोड, अमीरपेठ,
हैदराबाद 16

विषय:- **लघु जल विद्युत परियोजना की सशर्त स्वीकृति बाबत् ।**

संदर्भ:- **इन्द्रावती** नदी पर ग्राम **चित्रकोट** के समीप, **घमरमुंड** लघु जल विद्युत **परियोजना**, तहसील **जगदलपुर**, जिला **बस्तर**, **21000 KW** क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना हेतु आपके द्वारा दिया गया प्रस्ताव दिनांक **19.02.2003** एवं **04.12.2007**.

महोदय,

विषयांतर्गत् सन्दर्भित स्वचिन्हांकित लघु जल विद्युत परियोजना, **इन्द्रावती** नदी पर **चित्रकोट** ग्राम के समीप, **घमरमुंड** लघु जल विद्युत **परियोजना**, तहसील **जगदलपुर**, जिला **बस्तर**, **21000 KW** क्षमता को विकसित करने हेतु निम्न शर्तो के अनुसार परियोजना की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. परियोजना से संबंधित, निम्नानुसार विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी इकाई की होगी :
   (i) जल संसाधन विभाग
   (ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल
   (iii) वन विभाग
   (iv) पर्यावरण विभाग
   (v) राजस्व विभाग
   (vi) पर्यटन विभाग

2. स्वीकृति पत्र दिनांक से एक माह के भीतर इकाई को परियोजना हेतु क्रेडा के साथ आवश्यक अनुबंध करना होगा ।

निरंतर........

3. अनुबंध के समय इकाई को प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 25/ प्रति किलोवॉट की दर से जमा करना होगा ।

4. परियोजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार समय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित करना होगा :
   (अ) ऐसे स्थानों में जहां जलस्त्रोत के निकट ''गेजिंग स्टेशन'' स्थापित हों, वहां विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) प्रस्तुत करने हेतु छै माह (स्वीकृति पत्र दिनांक से) ।
   (ब) ''गेजिंग स्टेशन'' न होने की दशा में स्वीकृति पत्र दिनांक से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) प्रस्तुत करने हेतु डेढ़ वर्ष (18माह) ।
   (स) कंडिका 'अ' की दशा में स्वीकृति पत्र दिनांक से दो वर्ष के भीतर तथा कंडिका 'ब' की दशा में स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर परियोजना पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
   (द) स्वीकृति के पश्चात प्रति तीन माह में शासन को परियोजना की प्रगति के संबंध में अवगत कराना होगा ।

5. विशेष परिस्थितियों में परियोजना पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।

6. यदि समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नही किया गया तो क्रेडा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा दी गई स्वीकृतियाँ स्वमेव निरस्त मानी जावेगी । आवेदक को अपना सारा निर्माण/सामग्री अपने व्यय पर स्थल से, अनुमति निरस्त/समाप्त होने के एक माह के भीतर हटानी होगी । ऐसा कर स्थल को अपने पूर्व स्वरूप में वापस कायम करना होगा । न हटाने की दशा में क्रेडा/शासन द्वारा इसे हटाया जायेगा व हटाने का व्यय इकाई/आवेदक से वसूल किया जायगा ।

7. इकाई/आवेदक द्वारा शासकीय नियमों का पालन न करने पर स्वीकृति/अनुमति बिना कारण बताये निरस्त की जा सकेगी ।

8. यह स्वीकृति अहस्तांतरणीय है ।

(अनिल टुटेजा)
अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निवेदन.....

To,

M/s G S Energies (P) Ltd.,
502, Apurupa Elegance,
Dharam Karam Road, Ameerpet,
Hyderabad - 16

Sub:- **Conditional sanction for the small hydro project.**
Ref.:- Your proposal for **Ghammarmund Small Hydro Electric Project** on river **Indravati,** near village **Chitrakote,** Tahsil **Jagdalpur,** Distt. **Bastar,** for **21000 kW** Capacity, dtd. **19.02.2003** & Dated **04.12.2007.**

Dear Developer,

Sanction is hereby accorded for your proposal for **Ghammarmund Small Hydro Project** on river **Indravati,** near Village **Chitrakote,** Tahsil **Jagdalpur,** District **Bastar,** for **21000 kW** submitted by you under self identified scheme subject to the following conditions:-

1. The investor/developer shall be responsible for obtaining necessary NOCs from the following departments: -
   - i/ Department of Water Resources
   - ii/ Chhattisgarh State Electricity Board
   - iii/ Department of Forest
   - iv/ Department of Environment
   - v/ Department of Revenue
   - vi/ Department of Tourism

2. The investor/developer shall execute the necessary agreement with CREDA within one month of the date of sanction letter.

3. At the time of agreement the investor/developer shall pay Rs. 25/- per KW as processing fees.

4. The project has to be carried out in the time limit as below: -
   - a/ For sites near gauging station, DPR should be submitted within Six months from the date of sanction letter.
   - b/ In case the site is not near the gauging station, DPR should be submitted within Eighteen months from the date of sanction letter.
   - c/ In case of (a) above, the project is to be mandatorily completed within two years and in case of (b) within three years, from the date of sanction letter.
   - d/ Quarterly progress report is to be submitted to CREDA/Govt. of C.G., after the receipt of the sanction.

Cont: ..

5. In special circumstances, extension up to one year may be granted by the Govt. for the completion of the project.

6. In case the project is not completed within stipulated time limit, the sanction and all other permissions as mentioned above, shall stand automatically cancelled. The applicant shall have to remove all the construction/development and construction material within one month of the date of cancellation at his own cost and restore the site to its original condition. Otherwise CREDA/Government of CG shall remove the constructions/materials at the investor's expense.

7. In case the party fails to abide by the government rules, the sanction/permission shall be cancelled without assigning any reason.

8 This sanction is non transferable.

(Anil Tuteja)
Addl. Chief Executive Officer